भारतीय रिज़र्व बैंक
Reserve Bank of India

भारिबैं/पवि/2026-27/447

प.वि.कें.का.पीपीजी.41/11.01.005/2026-27 **31 जुलाई, 2026**

भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय बैंक - आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य) निदेश, 2026 (01 अक्तूबर, 2026 तक अद्यतन)

विषय सूची

प्रस्तावना 2

अध्याय I – प्रारंभिक 2

- **ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** 2
- **बी. अनुप्रयोज्यता** 2
- **सी. परिभाषाएँ** 2

अध्याय II - अभिशासन और निगरानी 3

- **ए. बोर्ड की भूमिका** 3
- **बी. वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका** 4

अध्याय III - जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क 5

- **ए. आंतरिक लेखापरीक्षा पर नीति** 5
- **बी. कार्यात्मक स्वतंत्रता** 5
- **सी. जोखिम मूल्यांकन** 6
- **डी. दायरा** 9
- **ई. संचार** 11
- **एफ. कार्यनिष्पादन मूल्यांकन** 11
- **जी. आउटसोर्सिंग** 12

अध्याय IV - आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख 14

- **ए. प्राधिकार, कद और स्वतंत्रता** 14
- **बी. कार्यकाल** 14
- **सी. रिपोर्टिंग लाइन** 14

अध्याय V - निरसन और अन्य प्रावधान 15

- **ए. निरसन और व्यावृत्ति (संरक्षण)** 15
- **बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं** 15
- **सी. व्याख्या** 15

पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मेकर टावर-ई, 20वीं मंजिल, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005

दूरभाष: 022-6997 3798 ई-मेल: ppgdos@rbi.org.in

Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office, Maker Tower-E, 20th floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai- 400 005
Tel: 022- 6997 3798 Email: ppgdos@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

प्रस्तावना

एक सुदृढ़ आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, बैंक के आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन ढांचे का एक अभिन्न अंग है। लेन-देन व केंद्रित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा को अपनाना आवश्यक है, जो उभरते अभिशासन मानकों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, चुनिंदा लेन-देन परीक्षण के अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और आंतरिक नियंत्रणों के मूल्यांकन पर जोर देता है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों / कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा एतद्पश्चात निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय बैंक - आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य) निदेश, 2026 कहा जाएगा।
2. ये निदेश जारी होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. अनुप्रयोज्यता

3. ये निदेश स्थानीय बैंकों पर लागू होंगे (इसके बाद इन्हें सामूहिक स्तर पर 'बैंकों' और व्यक्तिगत स्तर पर 'बैंक' कहा गया है)।

सी. परिभाषाएँ

4. इन निदेशों के प्रयोजन के लिए सभी अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, अथवा उनमें किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनर्रचना, या आरबीआई द्वारा जारी अन्य विनियमों, या आरबीआई द्वारा प्रकाशित शब्दावली, या जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किया गया है।

अध्याय II – अभिशासन और निगरानी

ए. बोर्ड की भूमिका

5. बैंक का बोर्ड निम्नलिखित को मंजूरी देगा:

(1) आरबीआईए शुरू करने के लिए एक सुपरिभाषित नीति।

(2) एक जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि जो बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) द्वारा बैंक द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के आकार और उसकी जटिलता को ध्यान में रख कर की गई हो।

(3) एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (एएपी) जिसमें योजनाबद्ध लेखापरीक्षा कार्य की अनुसूची और उसके आशय शामिल होने चाहिए।

(4) बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं को उन क्षेत्रों में जिनमें बैंक के पास पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए नियोजित करने की नीति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नियोजन की शर्तें, कार्यनिष्पादन की समीक्षा और सेवाओं की समाप्ति शामिल होगी।

बशर्ते कि ऊपर दिए गए उप-पैरा (2) और (3) के लिए, बोर्ड यह उत्तरदायित्व अपनी लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) को सौंपे।[#]

6. बोर्ड का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि एक प्रभावी आरबीआईए प्रणाली और इसके महत्व को पूरे बैंक में समझा जाए।

7. बोर्ड / बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) समय-समय पर विश्वसनीयता, सटीकता और निष्पक्षता के लिए आरबीआईए के कार्यनिष्पादन का आकलन करेंगे।

8. बोर्ड आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य में कर्मचारियों के लिए सेवा की एक न्यूनतम अवधि निर्धारित करेगा, उन बैंकों को छोड़कर जहां आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य एक विशेष कार्य है और यह करियर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। बोर्ड उन कर्मचारियों के लिए जिनके पास लेखापरीक्षा कार्य के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान है लेकिन जो अन्य विभागों में तैनात हैं, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य में कम से कम एक कार्यकाल की सेवा निर्धारित करने की व्यवहार्यता की जांच भी कर सकता है, ताकि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य में कर्मचारियों के पास पर्याप्त कौशल हो।

[#] भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय बैंक - अभिशासन) संशोधन निदेश, 2026 के परिणामस्वरूप, 1 अक्तूबर 2026 से प्रतिस्थापित।

बी. वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका

9. वरिष्ठ प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि एक प्रभावी आरबीआईए प्रणाली के महत्व को पूरे बैंक में समझा जाए, और आंतरिक लेखापरीक्षा कर्मचारी वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।

अध्याय III - जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क

ए. आंतरिक लेखापरीक्षा पर नीति

10. जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) का प्राथमिक केंद्र-बिंदु बैंक के परिचालन में जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण ढांचे की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के बारे में बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करना होगा। नियंत्रण फ्रेमवर्क की प्रभावशीलता की जांच करते समय, आरबीआईए उचित रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट करने के साथ-साथ प्रमुख अपवादों और किसी अतिरेक की रिपोर्टिंग करेगा।

11. आरबीआईए को जोखिम की पहचान, लेखापरीक्षा क्षेत्रों के प्राथमिकताकरण और जोखिम मूल्यांकन के अनुसार लेखापरीक्षा संसाधनों के आवंटन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नीति में उन जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जोखिम मूल्यांकन कार्यप्रणाली शामिल होगी जिसके आधार पर लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाएगी। इसमें वह अधिकतम समयावधि भी निर्धारित की जाएगी जिसके बाद कम जोखिम वाली कारोबारी गतिविधियां / स्थान भी बिना लेखापरीक्षा के नहीं रहेंगे।

12. बैंक उचित प्रलेखीकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित और प्रदर्शित करेगा कि उसका आरबीआईए फ्रेमवर्क उसकी संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और जोखिमों के लिए उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण मानदंडों / सिद्धांतों को समाहित करता है। सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा भी जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके की जानी चाहिए।

बी. कार्यात्मक स्वतंत्रता

13. हितों के किसी भी टकराव से बचने के लिए बैंक का आईएडी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया से मुक्त होना चाहिए और उसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बैंक के भीतर एक उचित वैधानिक पावती प्रदान की जानी चाहिए। इसे अन्य लेखांकन या परिचालन कार्यों को करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी।

14. बैंक जोखिम प्रबंधन विभाग के कार्यों और आरबीआईए की भूमिका के बीच अंतर करेगा। जहां जोखिम प्रबंधन विभाग जोखिमों की पहचान, निगरानी और माप, नीतियों और प्रक्रियाओं के विकास और जोखिम प्रबंधन मॉडलों के उपयोग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं आरबीआईए केवल जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन करेगा, जो किसी गतिविधि / स्थान के अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों और व्यावसायिक कार्यकलाप के अंतर्निहित जोखिमों की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता को ध्यान में रखेगा। लेखापरीक्षा योजना तैयार करते समय, बैंक की प्रत्येक गतिविधि / स्थान, जिसमें जोखिम प्रबंधन कार्य भी शामिल है, को आरबीआईए द्वारा जोखिम मूल्यांकन के अधीन रखा जाएगा।

15. बैंक आरबीआईए प्रणाली के अंतर्गत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आईएडी को उपयुक्त संसाधन और स्टाफ प्रदान करेगा। प्रत्येक आंतरिक लेखा परीक्षक की आवश्यक पेशेवर दक्षता, ज्ञान और अनुभव बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक हैं। उन्हें बैंक के व्यावसायिक कार्यकलापों, परिचालन प्रक्रियाओं, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रणालियों और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को समझने में सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। ज्ञान और अनुभव के वांछित क्षेत्रों में बैंकिंग परिचालन, लेखांकन, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स और फोरेंसिक जांच आदि शामिल हो सकते हैं। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य में बैंक के सभी क्षेत्रों के लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक कौशल हो।

16. बैंक आंतरिक लेखा परीक्षा स्टाफ के पारिश्रमिक को उन व्यावसायिक क्षेत्रों के वित्तीय निष्पादन से नहीं जोड़ेगा जिनके लिए वे लेखा परीक्षा जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। बैंक पारिश्रमिक नीति को इस प्रकार संरचित करेगा जिससे हितों के टकराव से बचा जा सके और लेखा-परीक्षा की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता से समझौता न हो।

सी. जोखिम मूल्यांकन

17. जोखिम मूल्यांकन को, एक स्वतंत्र गतिविधि के रूप में, विभिन्न स्तरों (कॉरपोरेट और शाखा; संविभाग(पोर्टफोलियो) और व्यक्तिगत लेनदेन, आदि) पर जोखिमों को कवर करना चाहिए और साथ ही जोखिमों की पहचान करने, मापने, निगरानी करने और नियंत्रित करने के लिए लागू प्रक्रियाओं को भी कवर करना चाहिए।

18. बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम मूल्यांकन कार्यप्रणाली में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) बैंक द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों की पहचान।

(2) व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्निहित जोखिमों की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन ('नियंत्रण जोखिम')।

(3) दोनों कारकों अर्थात् अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों और नियंत्रण जोखिमों पर विचार करने के लिए एक जोखिम-मैट्रिक्स तैयार करना। एक निदर्शात्मक जोखिम-मैट्रिक्स और मार्गदर्शन नीचे बॉक्स आइटम के रूप में दिया गया है:

जोखिम-मैट्रिक्स

अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिम ↑				
	उच्च	ए उच्च जोखिम	बी अति उच्च जोखिम	सी अत्यधिक उच्च जोखिम
	मध्यम	डी मध्यम जोखिम	ई उच्च जोखिम	एफ़ अति उच्च जोखिम
	निम्न	जी निम्न जोखिम	एच मध्यम जोखिम	आई उच्च जोखिम
		निम्न	**मध्यम**	**उच्च**
		→ **नियंत्रण जोखिम**		

अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिम बैंक के किसी विशेष क्षेत्र / गतिविधि में निहित जोखिम को दर्शाते हैं और जोखिम की गंभीरता के आधार पर इन्हें निम्न, मध्यम और उच्च श्रेणियों में समूहीकृत किया जा सकता है।

नियंत्रण जोखिम अपर्याप्त नियंत्रण प्रणालियों, कमियों / अंतरालों और / या मौजूदा नियंत्रण प्रक्रियाओं में संभावित विफलताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। नियंत्रण जोखिमों को भी निम्न, मध्यम और उच्च श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

समग्र जोखिम मूल्यांकन में अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों और नियंत्रण जोखिमों दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। जोखिम मैट्रिक्स के प्रत्येक सेल में परिलक्षित समग्र जोखिम मूल्यांकन को नीचे समझाया गया है:

ए - उच्च जोखिम: हालांकि नियंत्रण जोखिम निम्न है, लेकिन उच्च अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों के कारण यह एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है।

बी – अति उच्च जोखिम: माध्यम नियंत्रण जोखिम के साथ मिलकर उच्च अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिम इसे एक बहुत उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बनाता है।

सी – अत्यधिक उच्च जोखिम: अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिम और नियंत्रण जोखिम दोनों ही उच्च हैं जो इसे एक अत्यंत उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बनाते हैं। इस क्षेत्र पर तत्काल लेखापरीक्षा ध्यान, लेखापरीक्षा संसाधनों के अधिकतम आवंटन के साथ-साथ बैंक के शीर्ष प्रबंधन द्वारा निरंतर निगरानी की आवश्यकता होगी।

डी - मध्यम जोखिम: हालांकि नियंत्रण जोखिम निम्न है, लेकिन मध्यम अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों के कारण यह एक मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र है।

ई - उच्च जोखिम: हालांकि अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिम मध्यम है, लेकिन नियंत्रण जोखिम भी मध्यम होने के कारण यह एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है।

एफ़ – अति उच्च जोखिम: हालांकि अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिम मध्यम है, लेकिन उच्च नियंत्रण जोखिम के कारण यह एक अति उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है।

जी - निम्न जोखिम: अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिम और नियंत्रण जोखिम दोनों ही निम्न हैं।

एच - मध्यम जोखिम: अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिम निम्न है, और नियंत्रण जोखिम मध्यम है।

आई - उच्च जोखिम: हालांकि अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिम निम्न है, लेकिन उच्च नियंत्रण जोखिम के कारण यह एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बन जाता है।

बैंक को अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों और नियंत्रण जोखिमों का विश्लेषण इस दृष्टिकोण से भी करना चाहिए कि क्या ये स्थिर, बढ़ते या घटते रुझान दिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई क्षेत्र रिस्क मैट्रिक्स के सेल 'बी' या 'एफ' के भीतर आता है और जोखिम एक बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, तो इसके लिए बैंक के शीर्ष प्रबंधन (जैसा कि सेल 'सी' के लिए लागू) द्वारा निरंतर निगरानी के अलावा तत्काल लेखापरीक्षा ध्यान, लेखापरीक्षा संसाधनों के अधिकतम आवंटन की भी आवश्यकता होगी। जोखिम मैट्रिक्स प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधि / स्थान के लिए तैयार किया जाएगा।

लेन-देन का परीक्षण आरबीआईए का एक अनिवार्य पहलू होगा। लेन-देन परीक्षण की सीमा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई क्षेत्र जोखिम मैट्रिक्स के सेल 'सी-अत्यधिक उच्च जोखिम' में आता है, तो बैंक 100 प्रतिशत लेन-देन परीक्षण करेगा। यदि कोई क्षेत्र सेल 'बी-अति उच्च जोखिम' या 'एफ-अति उच्च जोखिम' में आता है और जोखिम बढ़ते रुझान दिखा रहे हैं, तो बैंक 100 प्रतिशत लेन-देन परीक्षण पर विचार कर सकता है। बैंक कम जोखिम वाले क्षेत्रों के संबंध में आश्चर्यजनक रूप से लेनदेन की स्थिति में परीक्षण पर भी विचार कर सकता है, जिनका अपेक्षाकृत लंबे अंतराल पर लेखा-परीक्षण किया जाता है।

19. अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों और नियंत्रण जोखिमों के स्तर (उच्च, मध्यम, निम्न) और रुझान (बढ़ते, स्थिर, घटते) के निर्धारण का आधार स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। जोखिम मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया जा सकता है। जबकि ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिमों की मात्रा काफी हद तक मात्रात्मक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जा सकती है, विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों में नियंत्रण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए।

20. बैंक के लिए अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जोखिमों की गतिविधि-वार और स्थान-वार पहचान की जानी चाहिए।

21. बैंक महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और लेखापरीक्षा कार्य को प्राथमिकता देने के लिए आईएडी में एक स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करेगा। इस कार्यप्रणाली की सीमा पारंपरिक बैंकिंग कारोबार करने वाले छोटे आकार के बैंकों के मामले में कुछ क्षेत्रों की अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक बार लेखा-परीक्षा क्यों किया जाना चाहिए, इसका एक सरल विश्लेषण से लेकर जटिल व्यावसायिक कार्यकलाप करने वाले बड़े आकार के बैंकों में अधिक परिष्कृत मूल्यांकन प्रणालियों तक हो सकती है।

22. जोखिम मूल्यांकन कार्यप्रणाली में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मापदंडों को शामिल किया जाना चाहिए:

(1) पिछली आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और अनुपालन
(2) बिजनेस लाइनों में प्रस्तावित बदलाव या फोकस में बदलाव
(3) प्रबंधन / प्रमुख कर्मियों में महत्वपूर्ण बदलाव
(4) नवीनतम विनियामक निरीक्षण रिपोर्ट (नवीनतम आरबीआई निरीक्षण रिपोर्ट) के परिणाम
(5) बाहरी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
(6) उद्योग के रुझान और अन्य पर्यावरणीय कारक
(7) पिछली लेखापरीक्षा के बाद बीता हुआ समय
(8) कारोबार की मात्रा और गतिविधियों की जटिलता
(9) बजट से वास्तविक निष्पादन में पर्याप्त भिन्नताएँ

23. जोखिम मूल्यांकन के सटीक होने के लिए, बैंक के पास उचित एमआईएस और डेटा की विश्वसनीयता होनी चाहिए। आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य को नए उत्पादों को लाने, रिपोर्टिंग लाइनों में बदलाव और लेखांकन प्रथाओं / नीतियों में बदलाव सहित सभी घटनक्रमों से अवगत कराया जाना चाहिए। जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कम से कम वार्षिक तौर पर किया जाना चाहिए और व्यावसायिक वातावरण, कार्यकलापों और कार्य प्रक्रियाओं में बदलावों को ध्यान में रखने के लिए समय-समय पर अद्यतित भी किया जाना चाहिए।

डी. दायरा (स्कोप)

24. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा योजना में सभी जोखिम क्षेत्र शामिल होने चाहिए, और जोखिम के स्तर तथा दिशा के आधार पर उनका प्राथमिकता निर्धारण होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, उच्च, अति उच्च या अत्यधिक उच्च जोखिम (जोखिम मैट्रिक्स के आधार पर) के रूप में पहचाने गए

क्षेत्रों या कार्यकलापों की लेखा-परीक्षा कम अंतराल पर की जा सकती है बनिस्बत कि लागू विनियामक निदेशों के अधीन, मध्यम या निम्न जोखिम वाले क्षेत्रों की जिनकी लेखा-परीक्षा लंबे अंतराल पर की जा सकती है।

25. बैंक निम्नानुसार एक जोखिम लेखापरीक्षा मैट्रिक्स तैयार कर सकता है:

जोखिम लेखा-परीक्षा मैट्रिक्स				
जोखिम का परिमाण (एम)	**उच्च**	उच्च परिमाण और निम्न आवृत्ति	उच्च परिमाण और मध्यम आवृत्ति	उच्च परिमाण और उच्च आवृत्ति
	मध्यम	मध्यम परिमाण और निम्न आवृत्ति	मध्यम परिमाण और मध्यम आवृत्ति	मध्यम परिमाण और उच्च आवृत्ति
	निम्न	निम्न परिमाण और निम्न आवृत्ति	निम्न परिमाण और मध्यम आवृत्ति	निम्न परिमाण और उच्च आवृत्ति
		निम्न	**मध्यम**	**उच्च**
	जोखिम की आवृत्ति (एफ़)			

26. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को निम्नलिखित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए लेखा-परीक्षा कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए:

(1) उच्च परिमाण और उच्च आवृत्ति
(2) उच्च परिमाण और मध्यम आवृत्ति
(3) मध्यम परिमाण और उच्च आवृत्ति
(4) उच्च परिमाण और निम्न आवृत्ति
(5) मध्यम परिमाण और मध्यम आवृत्ति

27. आरबीआईए का सटीक दायरा बैंक द्वारा निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च और अत्यधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, न्यूनतम रूप से, यह निम्नलिखित की समीक्षा / रिपोर्ट करेगा:

(1) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जोखिमों की पहचान की जाती है और उनका प्रबंधन किया जाता है;
(2) विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण वातावरण;

(3) नियंत्रण तंत्र में अंतराल, यदि कोई हो, जिसके कारण धोखाधड़ी हो सकती है, धोखाधड़ी प्रवण क्षेत्रों की पहचान;

(4) डेटा अखंडता, एमआईएस की विश्वसनीयता और अखंडता;

(5) आंतरिक, विनियामक और सांविधिक अनुपालन;

(6) बजटीय नियंत्रण और निष्पादन समीक्षा;

(7) आवश्यक समझी गई सीमा तक लेन-देन परीक्षण / परिसंपत्तियों का सत्यापन;

(8) आरबीआईए रिपोर्ट के अनुपालन की निगरानी; और

(9) वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के सापेक्ष आरबीआईए के तहत जोखिमों के मूल्यांकन में भिन्नता, यदि कोई हो।

28. दायरे में धन-शोधन नियंत्रणों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लागू प्रणालियों की समीक्षा; संभावित अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों और नियंत्रण जोखिमों की पहचान, यदि कोई हो; विभिन्न सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना और उस पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए अनुवर्ती समीक्षा करना भी शामिल होना चाहिए।

ई. संचार

29. बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरबीआईए स्टाफ़ और वरिष्ठ प्रबंधन के बीच संचार चैनल नकारात्मक और संवेदनशील निष्कर्षों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करते रहे हैं। सभी गंभीर कमियों की पहचान होते ही प्रबंधन के उचित स्तर पर रिपोर्ट की जानी चाहिए। बैंक के व्यवसाय के लिए खतरा पैदा करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को बोर्ड, एसीबी या वरिष्ठ प्रबंधन, जैसा भी उचित हो, के ध्यान में तुरंत लाया जाना चाहिए।

एफ़. कार्य निष्पादन मूल्यांकन

30. आईएडी अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तुलना में अपने द्वारा किए गए आरबीआईए की वार्षिक या इससे अधिक बार आवधिक पर समीक्षा करेगा। कार्य निष्पादन समीक्षा में चिह्नित किए गए जोखिमों को कम करने में आरबीआईए की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी शामिल होना चाहिए।

31. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना में प्रलेखित जोखिम प्रोफाइल के सापेक्ष आरबीआईए द्वारा प्रकट जोखिम प्रोफाइल में भिन्नता, यदि कोई हो, की भी जांच की जानी चाहिए ताकि आईएडी की जोखिम मूल्यांकन कार्यप्रणाली की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया जा सके।

जी. आउटसोर्सिंग

32. बैंक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को आउटसोर्स नहीं करेगा। हालांकि, जहां आवश्यक हो, बैंक संविदा के आधार पर पूर्व कर्मचारियों सहित विशेषज्ञों को काम पर रख सकता है, बशर्ते एसीबी आश्वस्त हो कि ऐसी विशेषज्ञता बैंक के लेखापरीक्षा ढाँचे के भीतर उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में हितों के किसी भी टकराव को चिह्नित किया जाएगा और प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाएगा। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार से नियुक्त विशेषज्ञ बैंक के प्रबंधन की गहन देखरेख में काम कर रहे हैं। सभी मामलों में लेखापरीक्षा रिपोर्टों का स्वामित्व आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के नियमित पदाधिकारियों के पास रहेगा।

33. बाहरी विशेषज्ञों के साथ संविदात्मक व्यवस्था के कारण आंतरिक नियंत्रण में व्यवधान के किसी भी जोखिम को रोकने के लिए बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेगा:

(1) आरबीआईए के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले, बैंक यह संतुष्ट करने के लिए समुचित सावधानी बरतेगा कि आउटसोर्सिंग संविदाकर्ता के पास संविदात्मक कार्य करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है। लिखित संविदा में, न्यूनतम रूप से, निम्नलिखित निर्दिष्ट होने चाहिए:

(i) संविदाकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का दायरा और आवृत्ति;

(ii) बैंक को रिपोर्टिंग करने का तरीका और उसकी आवृत्ति; और संविदाकर्ता की ओर से त्रुटियों, चूकों और लापरवाही से होने वाले नुकसान की लागत को निर्धारित करने का तरीका;

(iii) आवश्यकता पड़ने पर संविदा की शर्तों में बदलाव शामिल करने की व्यवस्था;

(iv) वे स्थान जहाँ कार्य पत्र संग्रहीत किए जाएंगे;

(v) आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट बैंक की संपत्ति हैं और आवश्यकता पड़ने पर सभी वर्क पेपरों बैंक को प्रदान किए जाने चाहिए;

(vi) बैंक द्वारा अधिकृत कर्मचारियों को कार्य पत्रों तक उचित और समय पर पहुंच प्राप्त होनी चाहिए; और

(vii) पर्यवेक्षकों को संबंधित कार्य पत्रों तक तत्काल और पूर्ण पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।

(2) प्रबंधन को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि आउटसोर्स की गई गतिविधि का प्रबंधन सक्षमता से किया जा रही है।

(3) संविदाकर्ता द्वारा किए गए सभी कार्यों को प्रलेखित किया जाना चाहिए और आईएडी के माध्यम से वरिष्ठ प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(4) आउटसोर्सिंग व्यवस्था की आकस्मिक समाप्ति के कारण उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण परिचालन जोखिम से बचने के लिए, बैंक के पास लेखा परीक्षा व्याप्ति में किसी भी व्यवधान को कम करने के लिए एक आकस्मिक योजना होगी।

अध्याय IV - आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (एचआईए)

ए. प्राधिकार, कद और स्वतंत्रता

34. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि आंतरिक लेखापरीक्षा ढाँचे में बैंक के भीतर पर्याप्त प्राधिकार, कद, स्वतंत्रता और संसाधन हों, जिससे कि आंतरिक लेखा परीक्षक निष्पक्षता के साथ अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (एचआईए) बैंक का एक वरिष्ठ कार्यपालक होगा जिसके पास स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होगी।

35. एचआईए के पास किसी भी स्टाफ सदस्य के साथ संवाद करने का अधिकार होगा और उन सभी रिकॉर्डों या फाइलों तक पहुंच होगी जो सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

36. एचआईए का बैंक के व्यावसायिक वर्टिकल के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं होगा और उसे कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं दिया जाएगा।

बी. कार्यकाल

37. उन बैंकों को छोड़कर जहां आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य एक विशेष कार्य है और करियर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, एचआईए को पर्याप्त अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, अधिमानतः न्यूनतम तीन वर्षों के लिए।

सी. रिपोर्टिंग लाइन

38. एचआईए सीधे एसीबी / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या पूर्णकालिक निदेशक (डबल्यूटीडी) को रिपोर्ट करेगा। जहां कहीं भी एमडी एवं सीईओ या डबल्यूटीडी, एचआईए के 'रिपोर्टिंग प्राधिकारी' हैं, वहां एचआईए के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के मामलों में 'समीक्षा प्राधिकारी' एसीबी होगा और 'स्वीकार करने वाला प्राधिकारी' बोर्ड होगा। ऐसे मामलों में, एसीबी एमडी एवं सीईओ / डब्ल्यूटीडी सहित वरिष्ठ प्रबंधन की उपस्थिति के बिना, तिमाही में कम से कम एक बार एचआईए के साथ बैठक करेंगे।

अध्याय V - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

39. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, स्थानीय बैंकों पर लागू आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि 31 जुलाई, 2026 के परिपत्र संख्या DoS.CO.PPG.66/11.01.005/2026-27 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही रहेंगे।

40. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या की जाने वाली कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियां या पावतियां इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों का निरसन किसी भी तरह से निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा:

(1) उसके तहत अधिग्रहित, प्राप्त या समक्ष आया कोई अधिकार, दायित्व या देनदारी;

(2) उसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या सजा;

(3) उपर्युक्त अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, जुर्माने, जब्ती या सजा के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय ऐसे शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या सजा लगाई जा सकती है जैसे कि वे निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश निरस्त नहीं हुए हों।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

41. इन निदेशों के प्रावधान फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

सी. व्याख्या

42. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी करने या उनके आवेदन या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए, आरबीआई, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में उचित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। आरबीआई द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और सभी संबंधित संस्थाओं पर बाध्यकारी होगी।

(तरुण सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक